

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन**  
**जिला चित्तौडगढ**

**पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या/86/2019 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 03.07..2019

**उनवान**

1. गोपी पिता उदा जी जाति कुम्हार निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. झुमा देवी पत्नी भैरू लाल जी जाति कुम्हार निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भगवानी देवी पत्नी नन्द लाल जी जाति कुम्हार निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. संतोष पत्नी नाना जी जाति कुम्हार निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कैलाश पिता भुरा जी जाति कुमावत निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. उदा पिता परसा जी जाति चमार निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. परथु पिता नारायण जी जाति चमार निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मोहन पिता नारायण जी जाति चमार निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. राम चन्द्र पिता गंगाराम जी जाति अहीर निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. मोहन पिता गंगाराम जी जाति अहीर निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट**

निर्णय दिनांक 29.11.2019

**—:निर्णय:—**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पतथरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा बनाकियां कलां पटवार हल्का बनाकियां कलां तहसील कपासन की खाता संख्या 115 में स्थित आराजी संख्या 1716, 1725, 1727 कुल किता 3 व खाता संख्या 544 में आराजी संख्या 1715, व खाता संख्या 545 में आराजी संख्या 1714 व खाता संख्या 546 में आराजी संख्या 1732, 3672/1732 कुल किता 2 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस

लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बनाकियां कलां पटवार हल्का बनाकियां कलां तहसील कपासन की खाता संख्या 115 में स्थित आराजी संख्या 1716, 1725, 1727 कुल किता 3 व खाता संख्या 544 में आराजी संख्या 1715, व खाता संख्या 545 में आराजी संख्या 1714 व खाता संख्या 546 में आराजी संख्या 1732, 3672/1732 कुल किता 2 स्थित है की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से

कम है।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)  
सहायक कलक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी कपासन